बिहार पुलिस मुख्यालय
(विशेष कार्य बल)
दिनांक–28.10.2024

हत्या की योजना विफल, भोजपुर जिला का अपराधकर्मी ऋषिकेश चौधरी उर्फ ऋषि अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार

- दिनांक 26.10.2024 को बिहार एस0टी0एफ0 की विशेष टीम एवं भोजपुर जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भोजपुर जिला का कुख्यात अपराधी ऋषिकेश चौधरी उर्फ ऋषि पे0 अरविन्द चौधरी सा0 बेलाउर थाना उदवन्तनगर जिला भोजपुर को उदवन्दनगर (भोजपुर) थाना क्षेत्र से छापामारी कर अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उदवन्दनगर (भोजपुर) थाना कांड सं0 481/24 दिनांक 26.10.2024 धारा 111(3) बी0एन0एस0 एवं 25(1–बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है।

- बरामदगी–
  1. पिस्टल–01
  2. मैगजीन–01
  3. जिन्दा कारतूस–12

- उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधी द्वारा नवादा थाना कांड संख्या 753/20 दिनांक 28.09.20 धारा 302/307/120बी भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में उक्त हत्याकांड के गवाह एवं मृतक के भाई धर्मेन्द्र कुमार सिंह की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त की गिरफ्तारी की गई।
- उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधी हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था और उस पर निगरानी रखी जा रही थी।
- उक्त अपराधी के विरूद्ध भोजपुर जिला के विभिन्न थानों में हत्या, लूट एवं आर्म्स एक्ट के पांच कांड दर्ज है।

STF